उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1
संख्या-6/2016/322/94-1-2016-312(83)/2016
लखनऊ: दिनांक: 24 मई, 2016

<u>अधिसूचना</u>

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या-10, सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या-16, सन् 1908) की धारा-5 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त पूर्व में जारी की गई सरकारी अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से-

(1) राजस्व ग्राम महीउददीनपुर कनावनी के क्षेत्र को अपवर्जित करके जनपद गौतमबुद्धनगर के उप जनपद नोएडा दितीय की सीमाओं को परिवर्तित करते हैं।

(2) राजस्व ग्राम महीउददीनपुर कनावनी के क्षेत्र को सम्मिलित करके जनपद गाजियाबाद के उप जनपद सदर चतुर्थ की सीमाओं को परिवर्तित करते हैं।

राज्यपाल अग्रतर निर्देश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय में, जिसने अब तक उस क्षेत्र के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ की गयी या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-6/2016/322(1)/94-1-2016-312(83)/2016 दिनांक: 24 मई, 2016

प्रतिलिपि- हिन्दी तथा अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 24 मई, 2016 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की 100 प्रतियॉ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश लखनऊ को तथा 50 प्रतियॉ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-6/2016/322(1)/94-1-2016-312(83)/2016 दिनांक: 24 मई, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम, उ0प्र0 कानपुर।
4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
6- महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0 लखनऊ।
7- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद।
8- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),पदेन जिला निबन्धक, गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद।
9- उप महानिरीक्षक निबन्धन, मेरठ एवं गौतमबुद्धनगर परिक्षेत्र।
10- सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, गौतमबुद्धनगर प्रथम एवं गाजियाबाद।
11- विधायी अनुभाग-1
12- गार्ड फाइल।

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

UTTAR PRADESH SHASHAN
Stamp & Registration Anubhag-1,

In Pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution The Governor is pleased to order the publication of the fallowing English translation of notification no.6/2016/322/94-1-2016-312(83)/2016 dated 24 May, 2016

NOTIFICATION

No.-6/2016/322/94-1-2016-312(83)/2016
Lucknow, Dated 24 May, 2016

In exercise of the powers under section-5 of the Registration Act, 1908 (Act no. 16 of 1908) read with section 21 of the General Clause Act, 1807 (Act no. 10 of 1897) and in partial modification of previous notifications issued in this behalf the Governor is pleased to alter with effect from the date of publication of this notification in the Gazette,

(a) the limits of Sub-District Noida II of District Gautam Buddha Nagar by excluding the area of revenue village Mohiuddinpur Kanawani;

(b) the limits of Sub-District Sadar IV of district Gaziabad by including the area of revenue village Mohiuddinpur Kanawani.

The Governer is further pleased to direct that nothing in this notification shall affect any legal proceeding already commenced or pending in any court of law which has hitherto exercised jurisdiction in respect of the said area.

Order By,

(Anil Kumar)
Principal Secretary

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।